

रा.आ.बैंक(नदि)/डीओएस/पर्यवेक्षी परिपत्र सं. 10/2023-24
एचओ/डीओएस/डीएके/2023/01603

पर्यवेक्षण विभाग

31 दिसंबर, 2021
(जुलाई 21, 2023 तक अद्यतित)

सेवा में,

सभी पंजीकृत आवास वित्त कंपनियां

महोदय / महोदया,

मास्टर परिपत्र – आवास वित्त कंपनियों (आ.वि.कं) द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी

राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 31, 32 और 33 के प्रावधानों के संदर्भ में, वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) द्वारा संशोधित, इसके बाद रा.आ.बैंक अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है, दिनांकित 17 फरवरी, 2021 के मास्टर निदेश- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी(रिज़र्व बैंक) निदेश, 2021 के पैराग्राफ 117 के प्रावधान के अनुसार और इस संबंध में इसे सक्षम करने वाले अन्य सभी प्रावधान, राष्ट्रीय आवास बैंक (इसके बाद बैंक के रूप में संदर्भित) इस बात से संतुष्ट है कि बैंक को आवास वित्त कंपनियों (आ.वि.कं) की निगरानी करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से और मास्टर परिपत्र संख्या [रा.आ.बैंक\(नदि\)/डीओएस/पर्यवेक्षी परिपत्र सं. 5/2020-21, दिनांकित 13 अप्रैल, 2021](#) के अधिक्रमण में यह आवश्यक और समीचीन है, इस मास्टर परिपत्र को जारी करता है।

2. परिपत्र रा.आ.बैंक की वेबसाइट पर भी डाला गया है। (https://nhb.org.in/regulation_post/supervisory-circular/).

भवदीय,

(एस के पाढ़ी)
महाप्रबंधक

क्रम-सूची

अध्याय I – परिचय
अध्याय II –आ.वि.कं द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी
अध्याय III - प्रस्तुत करने का तरीका
अध्याय IV – व्याख्या
अध्याय V – छूट
अनुलग्नक
अनुलग्नक -I –रिटर्न हेतु संलग्नक

अध्याय – I

परिचय

1. प्रत्येक आवास वित्त कंपनियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर विभिन्न विवरणी दाखिल करने के लिए एक रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित करनी होगी।
2. वार्षिक खातों की लेखापरीक्षा को अंतिम रूप देने/पूरा करने जैसे किसी भी कारण से विवरणी जमा करने में देरी नहीं होनी चाहिए।
3. विवरणी का संकलन कंपनी के बही-खाते में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर होना चाहिए। आ.वि.कं जो कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के नियम 4 के अंतर्गत आते हैं और उन्हें भारतीय लेखा मानकों (इंड-एएस) का अनुपालन करके अपना वित्तीय विवरण तैयार करना आवश्यक है एवं उन्हें इंड-एएस वित्तीय के आधार पर सभी विवरणी जमा करना होगा।
4. विवरणी केवल ओआरएमआईएस पोर्टल के माध्यम से आ.वि.कं के एक अधिकृत अधिकारी द्वारा ऑनलाइन दाखिल किया जाएगा, जिसे निदेशक मंडल द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से अधिकृत किया जाएगा।
5. आवास वित्त कंपनियों को बैंक में विवरणी जमा करने के लिए इस परिपत्र में निर्धारित समय-सीमा का सख्ती से पालन करना होगा, ऐसा न करने पर संबंधित आवास वित्त कंपनियां राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगी।
6. इस प्रयोजन के लिए, विवरणी जमा करने में देरी की गणना विवरणी जमा करने की नियत तारीख से की जाएगी। देरी से जमा करने के लिए पर्यवेक्षी कार्रवाई लागू होने के बावजूद, विवरणी जमा करने में विफलता को विवरणी जमा न करने के रूप में माना जाएगा।
7. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सामान्य वित्तीय मापदंडों पर जानकारी, यदि कोई हो तो उसे विभिन्न विवरणी जैसे मासिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक आदि के संदर्भ में, 30 जून / 30 सितंबर / 31 दिसंबर/31 मार्च, लगातार इसी तहत प्रस्तुत की जानी है।
8. अंतिम विवरणी में प्रस्तुत की गई जानकारी अंतिम रिटर्न में दी गई जानकारी की तुलना में विशेष रूप से भिन्न नहीं होनी चाहिए। यदि अनंतिम रिटर्न की तुलना में अंतिम विवरणी में किसी भी मूल्य में पर्याप्त परिवर्तन होता है, तो बैंक इसके लिए स्पष्टीकरण मांग सकता है।
9. यह ध्यानपूर्वक नोट किया जाना चाहिए कि यदि किसी आ.वि.कं द्वारा दी गई जानकारी/विवरण गलत पायी जाती है, तो बैंक इस मामले में गंभीरता से विचार करेगा।
10. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जब भी प्रबंध निदेशक और सीईओ, निदेशकों, सांविधिक लेखा परीक्षकों, प्रधान अधिकारी, नोडल अधिकारी, अनुपालन अधिकारी, कार्यात्मक प्रमुख, नामित निदेशक, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, शिकायत निवारण अधिकारी, शाखाएं/कार्यालय, कॉर्पोरेट कार्यालय का पता, आदि के विवरण में कोई बदलाव हो तो सीआरएमआईएस पोर्टल में जानकारी तुरंत अपडेट की जानी चाहिए।

नोट: यह एक अतिरिक्त आवश्यकता है और इसे सामान्य रूप से या अन्यथा, मास्टर विवरणी – गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2021 के प्रावधानों के तहत निर्धारित किसी भी अन्य रिपोर्टिंग आवश्यकता से छूट के रूप में नहीं माना जाएगा।

अध्याय – II

(भाग-I)

आवास वित्त कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला रिटर्न

आवास वित्त कंपनियों को अपनी जमा स्वीकृति, विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुपालन, एएलएम आदि के संबंध में बैंक को विभिन्न विवरणी जमा करने की आवश्यकता होती है। आवास वित्त कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विवरणी इस प्रकार हैं:

1. अनुसूची-I

सभी आवास वित्त कंपनियों को वार्षिक आधार पर अनुसूची-I विवरणी जमा करना आवश्यक है।

उद्देश्य:- वित्तीय विवरण प्राप्त करना, अर्थात् सार्वजनिक जमा का विवरण, व्यक्तियों को आवास ऋण का श्रेणीवार संवितरण, राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अनुसार संवितरण आदि।

नोट: 31 मार्च के संदर्भ में आवास वित्त कंपनियों द्वारा प्रस्तुत विवरण वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

संलग्नक: कृपया अनुलग्नक-I देखें।

2. अनुसूची-II:

सभी आवास वित्त कंपनियों को अर्ध-वार्षिक आधार पर अनुसूची- II विवरणी जमा करना आवश्यक है।

उद्देश्य:- विभिन्न विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन, जैसे- पूंजी पर्याप्तता, परिसंपत्ति वर्गीकरण, प्रावधान, एनओएफ आदि को सुनिश्चित करना।

नोट: 30 सितंबर/31 मार्च के संदर्भ में आवास वित्त कंपनियों द्वारा प्रस्तुत विवरण वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

3. अनुसूची-III:

सभी जमा स्वीकार करने वाली आवास वित्त कंपनियों को उनकी संपत्ति के आकार के बिना, तिमाही आधार पर अनुसूची-III विवरणी जमा करना आवश्यक है।

उद्देश्य: - एसएलआर मानदंडों के अनुपालन का पता लगाना और तरल संपत्तियों (केंद्र/राज्य सरकार की प्रतिभूतियां,

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में सावधि जमा आदि) में वैधानिक निवेश का विवरण प्राप्त करना।

नोट: 31 मार्च के संदर्भ में आवास वित्त कंपनियों द्वारा प्रस्तुत विवरण वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

4. अनुसूची-IV:

सभी आवास वित्त कंपनियों को तिमाही आधार पर अनुसूची-IV विवरणी जमा करना आवश्यक है।

उद्देश्य:- वित्तीय विवरण अर्थात् संपत्ति और देनदारियां, लाभ और हानि खाता, संवेदनशील क्षेत्रों में एक्सपोजर आदि के घटक प्राप्त करना।

नोट: 31 मार्च के संदर्भ में आवास वित्त कंपनियों द्वारा प्रस्तुत विवरण वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।

5. अनुसूची-V:

सभी आवास वित्त कंपनियों को मासिक आधार पर अनुसूची-V विवरणी जमा करना आवश्यक है।

उद्देश्य: - ऋण और अग्रिम, उधार, संपत्ति की गुणवत्ता और आवास ऋण की ब्याज दर संरचना आदि में रुझान को पकड़ना।

6. एलसीआर रिटर्न :

सभी जमा स्वीकार करने वाली आवास वित्त कंपनियां, उनकी संपत्ति के आकार पर ध्यान दिए बिना; और पिछले वर्ष के 31 मार्च को प्रकाशित खातों के अनुसार ₹5,000 करोड़ और उससे अधिक की संपत्ति वाले सभी गैर-जमा स्वीकार करने वाले आवास वित्त कंपनियों को साप्ताहिक आधार पर एलसीआर रिटर्न जमा करना आवश्यक है।

उद्देश्य: - अगले 30 दिनों में आवास वित्त कंपनी को तरलता कवरेज हासिल करना।

7. परिसंपत्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम) विवरणी:

सभी जमा स्वीकार करने वाली आवास वित्त कंपनियां, उनकी संपत्ति के आकार पर ध्यान दिए बिना; और पिछले वर्ष के 31 मार्च को प्रकाशित खातों के अनुसार ₹100 करोड़ और उससे अधिक की संपत्ति वाले सभी गैर-जमा स्वीकार करने वाली आवास वित्त कंपनी को नीचे दिए अनुसार विभिन्न अंतरालों पर निम्नलिखित एएलएम विवरणी जमा करना आवश्यक है:

- (i) एएलएम-I, अल्पकालिक गतिशील तरलता के विवरण [एसटीडीएल] - त्रैमासिक; और

- (ii) एएलएम-II, संरचनात्मक तरलता और ब्याज दर संवेदनशीलता के विवरण [एसएल एंड आईआरएस]
- अर्ध-वार्षिक।

उद्देश्य: - आवास वित्त कंपनी की परिसंपत्ति देनदारी प्रबंधन और विभिन्न समयावधियों के तहत इसकी स्थिति पर निगरानी करना।

8. 20-प्रमुख एक्सपोजर रिटर्न:

सभी आवास वित्त कंपनियों को तिमाही आधार पर 20-प्रमुख एक्सपोजर विवरणी जमा करने आवश्यक है।

उद्देश्य: - तिमाही के अंत तक आवास वित्त कंपनी के बड़े उधारकर्ताओं का विवरण प्राप्त करना।

9. व्यापक तरलता रिटर्न:

संपत्ति के आकार की परवाह किए बिना सभी जमा स्वीकार करने वाली आवास वित्त कंपनियों को तिमाही आधार पर व्यापक तरलता विवरणी जमा करना आवश्यक है।

उद्देश्य: - आरबीआई को प्रस्तुत करने के लिए तिमाही के अंत तक बड़ी आवास वित्त कंपनियों की देनदारियों और संपत्तियों के कुछ विवरण प्राप्त करना।

10. सरफेसी रिटर्न:

सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत 'वित्तीय संस्थान' के रूप में अधिसूचित आवास वित्त कंपनियों को तिमाही आधार पर सरफेसी विवरणी जमा करना आवश्यक है।

उद्देश्य: - तिमाही के अंत तक सरफेसी कार्यवाही के तहत परिसंपत्तियों की स्थिति का पता लगाना।

11. सांविधिक लेखापरीक्षक प्रमाणपत्र (एसएसी):

प्रत्येक आवास वित्त कंपनी को हर साल अपने सांविधिक लेखा परीक्षक से इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह आवास वित्त संस्थान के व्यवसाय में लगा हुआ है, जिसके लिए उसे रा.आ.बैंक अधिनियम की धारा 29 ए या आरबीआई की संबंधित धारा के तहत दिए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।

उद्देश्य:- पीबीसी के साथ निरंतर नियामक अनुपालन सुनिश्चित करना ।

आवास वित्त कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण और रिपोर्ट ।

1. एफडीआई मानदंडों के अनुपालन पर प्रमाणपत्र:

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाली आवास वित्त कंपनियों को एफडीआई के मौजूदा नियमों और शर्तों के अनुपालन को प्रमाणित करने वाले अर्ध-वार्षिक आधार पर अपने वैधानिक लेखा परीक्षक से एक प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है।

उद्देश्य: एफडीआई मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करना और इसकी गतिविधियां फेमा के तहत अनुमत गतिविधियों तक ही सीमित हैं।

2. विदेशी निवेश रिपोर्ट:

विदेशी निवेश वाली आवास वित्त कंपनियों (जमा लेने वाली और जमा न लेने वाली दोनों) को विदेशी निवेश रिपोर्ट को तिमाही आधार पर ओवर-सीज निवेश रिपोर्ट के प्रारूप में प्रस्तुत करना आवश्यक है।

उद्देश्य: आवास वित्त कंपनियों द्वारा विदेशी निवेश पर विवरण प्राप्त करना।

3. ब्याज दर वायदा (आईआरएफ) लेनदेन पर विवरण:

अपने अंतर्निहित एक्सपोजर की हेजिंग के लिए आईआरएफ एक्सचेंजों में भाग लेने वाली आवास वित्त कंपनियों को अर्ध-वर्ष की समाप्ति से एक महीने की अवधि के भीतर, अर्ध-वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

उद्देश्य: ब्याज दर भविष्य बाजार में आवास वित्त कंपनियों की भागीदारी की सीमा जानना।

4. एफएटीएफ अनुपालन प्रमाणपत्र:

प्रत्येक आवास वित्त कंपनी को हर साल प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने एफएटीएफ गैर-अनुपालन क्षेत्राधिकार से निवेश के संबंध में आरबीआई द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों का अनुपालन किया है।

उद्देश्य: - मास्टर निर्देश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2021 के पैराग्राफ 5.4 के प्रावधानों का निरंतर अनुपालन सुनिश्चित करना।

(भाग-II)

आवास वित्त कंपनियों के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित रिपोर्टिंग आवश्यकताएँ

1. पूंजी के संवर्धन पर सांविधिक लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र:

सभी आवास वित्त कंपनियों को मास्टर निदेश- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश, 2021 के पैराग्राफ 20.2.2 (जी) के तहत निर्धारित रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का पालन करना होगा।

2. विज्ञापन के बदले में विवरण:

सभी जमा स्वीकार करने वाली आवास वित्त कंपनियां पैराग्राफ 35.3 के तहत निर्धारित रिपोर्टिंग आवश्यकताओं और 35.4. मास्टर निदेश- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश, 2021 का अनुपालन करेंगी।

3. एसएलआर निवेश पर फ्लोटिंग चार्ज के निर्माण या संशोधन पर विवरण:

सभी जमा स्वीकार करने वाली आवास वित्त कंपनियों को मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश, 2021 के पैराग्राफ 42.2 के तहत निर्धारित रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का पालन करना होगा।

4. शेयरधारिता में परिवर्तन पर रिपोर्ट:

सभी आवास वित्त कंपनियों को शेयरों की पुनर्खरीद/पूंजी में कमी के संबंध में शेयरधारिता परिवर्तन के संबंध में मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2021 के पैराग्राफ 45.2 के तहत निर्धारित रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का पालन करना होगा।

5. निदेशकों के परिवर्तन पर विवरण (एससीडी):

सभी जमा स्वीकार करने वाली आवास वित्त कंपनियां, उनकी संपत्ति के आकार पर ध्यान दिए बिना; और ₹50 करोड़ और उससे अधिक की परिसंपत्ति आकार वाली सभी गैर-जमा स्वीकार करने वाली आवास वित्त कंपनियों को मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश, 2021 के पैराग्राफ 52.4 के तहत निर्धारित रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा।

6. एससीए/एसए की नियुक्ति पर "फॉर्म ए":

सभी उपयुक्त आवास वित्त कंपनियां मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश, 2021 के पैराग्राफ 54 के तहत और इसके साथ वाणिज्यिक बैंकों (आरआरबी को छोड़कर), यूसीबी और वैधानिक केंद्रीय लेखा परीक्षकों (एससीए) / वैधानिक लेखा परीक्षकों (एसए) की नियुक्ति के लिए पैराग्राफ

3.3 के दिशानिर्देश एनबीएफसी (एचएफसी सहित) दिनांकित 27 अप्रैल, 2021 का अनुपालन करेंगे।

7. वित्तीय उत्पाद की रेटिंग पर रिपोर्ट:

सभी उपयुक्त आवास वित्त कंपनियों मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2021 के पैराग्राफ 90 के तहत निर्धारित रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे।

8. नकली नोटों का पता लगाने और उन्हें जब्त करने पर रिपोर्ट:

सभी आवास वित्त कंपनियों को मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2021 के पैराग्राफ 108.2 के तहत निर्धारित रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का पालन करना होगा।

9. वैधानिक आरक्षित निधि के विनियोग पर रिपोर्ट:

सभी आवास वित्त कंपनियों को मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2021 के पैराग्राफ 113.3 के तहत निर्धारित रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का पालन करना होगा।

10. लाभांश की घोषित रिपोर्ट:

लाभांश घोषित करने वाली आवास वित्त कंपनी को पैराग्राफ 18ए.6 मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2021 के तहत निर्धारित रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का पालन करना होगा।

11. धोखाधड़ी निगरानी रिटर्न

सभी आवास वित्त कंपनियों को मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2021 के पैराग्राफ 3.1.9 के तहत निर्धारित रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का अनुपालन मास्टर डायरेक्शन-धोखाधड़ी की निगरानी एनबीएफसी (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2016 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप करना होगा।

12. हस्तांतरित ऋणों के प्रतिस्थापन पर रिपोर्ट (टीएलई):

सभी उपयुक्त आवास वित्त कंपनियों मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2021 मास्टर निर्देश के पैराग्राफ 21 के साथ - भारतीय रिजर्व बैंक (ऋण एक्सपोजर का हस्तांतरण) निर्देश, 2021 के पैराग्राफ 3.1ए.1 के तहत निर्धारित रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे।

13. हस्तांतरित ऋणों के प्रतिस्थापन पर रिपोर्ट (एसपीई):

सभी उपयुक्त आवास वित्त कंपनियों मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिजर्व बैंक) दिशानिर्देश, 2021 के पैराग्राफ 3.1ए.2 इसके साथ पैराग्राफ 32 (जी) मास्टर निदेश - भारतीय रिजर्व बैंक (मानक

संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण) दिशानिर्देश, 2021 के तहत निर्धारित रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे।

14. हाइब्रिड ऋण पूंजीगत दस्तावेज़ जारी करने पर रिपोर्ट:

हाइब्रिड ऋण पूंजी उपकरण जारी करने वाली आवास वित्त कंपनियों को मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश, 2021 के अनुबंध- II के पैराग्राफ 16 के तहत निर्धारित रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा।

नोट: सभी आवास वित्त कंपनियां अन्य रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का अनुपालन यदि इस परिपत्र में शामिल नहीं किया गया है तो उसका अनुपालन समय - समय पर सुनिश्चित करेंगे, जैसा कि मास्टर निदेश - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) दिशानिर्देश, 2021 के प्रावधानों के तहत पूर्व निर्धारित है।

अध्याय -III

प्रस्तुत करने का तरीका

बैंक ने एक्सबीआरएल आधारित रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म अर्थात् सेंट्रलाइज्ड री-पोर्टिंग एवं अधिक कुशल डेटा संग्रह और इसके उपयोग के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली लागू किया है जिससे डेटा प्रस्तुत करने में आसानी होगी।

इस संबंध में, प्रत्येक राष्ट्रीय आवास बैंक को वे विवरणी जमा करने की सलाह दी गई जो 31 दिसंबर, 2022 और उसके बाद की स्थिति सीआरएएमआईएस पोर्टल के माध्यम से पर्यवेक्षी परिपत्र संख्या रा.आ.बैंक(नदि)/डीओएस/प्र. परिपत्र क्रमांक 8/2022-23 दिनांकित दिनांकित 29 दिसंबर 2022 को देय हैं।

इस संदर्भ में, आ.वि.कंपनियों को सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त रिटर्न/जानकारी, जैसा कि परिपत्र में उल्लिखित है, केवल सीआरएएमआईएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत करना जारी रखें।

नव निगमित आ.वि.कंपनियां यूआरएल: <https://cramis.nhbonline.org.in/#/auth/hfc-registration> पर उपलब्ध पंजीकरण फॉर्म भरकर सीआरएएमआईएस पोर्टल में अपने पंजीकरण के लिए अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं। नव निगमित आ.वि.कंपनियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे सभी कदम उठाएं जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों कि वे खुद को सीआरएएमआईएस पोर्टल पर पंजीकृत किए हो एवं आवास वित्त कंपनी प्रो-फाइल पेज आदि को जल्द से जल्द पूरा किए हो।

सीआरएएमआईएस से संबंधित किसी भी कठिनाई के मामले में, सीआरएएमआईएस पोर्टल पर समर्पित सहायता ई-मेल आईडी: cramis.support@nhb.org.in और फोन नंबर: 011-3918-7590 उपलब्ध है। सीआरएएमआईएस के लिए उपयोगकर्ता मैनुअल सीआरएएमआईएस पोर्टल के होमपेज से डाउनलोड किया जा सकता है।

नोट: बैंक ने सीआरएमआईएस पोर्टल <https://cramis.nhbonline.org.in/#/login> पर रिटर्न के प्रारूप जैसे शेड्यूल-I, शेड्यूल-II, शेड्यूल-III, शेड्यूल-IV इत्यादि जारी किए हैं।

आवास वित्त कंपनियों की विभिन्न श्रेणियों में रिटर्न और उनकी आवधिकता का विवरण निम्नलिखित तालिकाओं में समेकित किया गया है।

क. प्रत्येक जमा स्वीकार करने वाली आवास वित्त कंपनियां, चाहे उनकी संपत्ति का आकार कुछ भी हो, द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी का विवरण:

क्र.सं.	रिटर्न का नाम	आवधिकता	संदर्भित दिनांक	रिपोर्टिंग का समय	को देय
1.	एलसीआर	साप्ताहिक	प्रत्येक सप्ताह के अंत में (शुक्रवार)	5 दिवस	अगले सप्ताह के बुधवार तक
2.	अनुसूची -V	मासिक	प्रत्येक महीने का अंत	10 दिवस	अगले महीने का 10वां दिन
3.	अनुसूची -IV	तिमाही	31 मार्च/	45 दिवस	15 मई/
			30 जून/ 30 सितंबर/ 31 दिसंबर.	15 दिवस	15 जुलाई/ 15 अक्टूबर/ 15 जनवरी
4.	अनुसूची -III	तिमाही	31 मार्च/	15 दिवस	15 अप्रैल/
			30 जून/ 30 सितंबर./ 31 दिसंबर.		15 जुलाई/ 15 अक्टूबर/ 15 जनवरी
5.	एएलएम -I (एसटीडीएल)	तिमाही	31 मार्च/	10 दिवस	10 अप्रैल/
			30 जून/ 30 सितंबर./ 31 दिसंबर.		10 जुलाई/ 10 अक्टूबर/ 10 जनवरी
6.	20 प्रमुख एक्सपोजर्स	तिमाही	31 मार्च/	10 दिवस	10 अप्रैल/
			30 जून/ 30 सितंबर/ 31 दिसंबर		10 जुलाई/ 10 अक्टूबर/ 10 जनवरी
7.	व्यापक तरलता	तिमाही	31 मार्च/	10 दिवस	10 अप्रैल/
			30 जून/ 30 सितंबर/ 31 दिसंबर		10 जुलाई/ 10 अक्टूबर/ 10 जनवरी
8.	एएलएम -II (एसएल एवं आईआरएस)	अर्धवार्षिक	31 मार्च/	20 दिवस	20 अप्रैल/
			30 सितंबर		20 अक्टूबर
9.	अनुसूची -II	अर्धवार्षिक	31 मार्च/	6 सप्ताह	12 मई/
			30 सितंबर/		12 नवंबर

10.	अनुसूची -I	वार्षिक	31 मार्च	30 जून सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर बैलेंस शीट को अंतिम रूप देने की तारीख से एक महीने के भीतर रिटर्न जमा करने की सलाह दी जाती है।
11.	सांविधिक लेखापरीक्षक प्रमाणपत्र	वार्षिक	31 मार्च	
12.	एफएटीएफ अनुपालन प्रमाणपत्र	वार्षिक	31 मार्च	30 जून

(ख) ₹5,000/- करोड़ और उससे अधिक की परिसंपत्ति आकार वाली सभी गैर-जमा स्वीकार करने वाली आवास वित्त कंपनियों द्वारा प्रस्तुत जाने वाली विवरणी का विवरण:

क्र.सं.	रिटर्न का नाम	आवधिकता	संदर्भित दिनांक	रिपोर्टिंग का समय	को देय
1.	एलसीआर	साप्ताहिक	प्रत्येक सप्ताह के अंत में (शुक्रवार)	5 दिवस	अगले सप्ताह के बुधवार तक
2.	अनुसूची -V	मासिक	प्रत्येक महीने का अंत	10 दिवस	अगले महीने का 10वां दिन
3.	अनुसूची -IV	तिमाही	31 मार्च/	45 दिवस	15 मई/
			30 जून/ 30 सितंबर/ 31 दिसंबर	15 दिवस	15 जुलाई/ 15 अक्टूबर/ 15 जनवरी
4.	एएलएम -I (एसटीडीएल)	तिमाही	31 मार्च/ 30 जून/ 30 सितंबर/ 31 दिसंबर	10 दिवस	10 अप्रैल/ 10 जुलाई/ 10 अक्टूबर/ 10 जनवरी
5.	20 प्रमुख एक्सपोजर्स	तिमाही	31 मार्च/ 30 जून/ 30 सितंबर/ 31 दिसंबर	10 दिवस	10 अप्रैल/ 10 जुलाई/ 10 अक्टूबर/ 10 जनवरी
6.	एएलएम -II (एसएल एवं आईआरएस)	अर्धवार्षिक	31 मार्च/ 30 सितंबर	20 दिवस	20 अप्रैल/ 20 अक्टूबर
7.	अनुसूची -II	अर्धवार्षिक	31 मार्च/ 30 सितंबर/	6 सप्ताह	12 मई/ 12 नवंबर
8.	अनुसूची -I	वार्षिक	31 मार्च	30 जून	
9.	सांविधिक लेखापरीक्षक प्रमाणपत्र	वार्षिक	31 मार्च	सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर बैलेंस शीट को अंतिम रूप देने की तारीख से एक महीने के भीतर रिटर्न जमा करने की सलाह दी जाती है।	
10.	एफएटीएफ अनुपालन प्रमाणपत्र	वार्षिक	31 मार्च	30 जून	

ग.₹100/- करोड़ और उससे अधिक किन्तु ₹5,000/- करोड़ से कम संपत्ति वाले गैर-जमा स्वीकार करने वाले आवास वित्त कंपनियों द्वारा प्रस्तुत जाने वाली विवरणी का विवरण:

क्र.सं.	रिटर्न का नाम	आवधिकता	संदर्भित दिनांक	रिपोर्टिंग का समय	को देय
1.	अनुसूची -V	मासिक	प्रत्येक महीने का अंत	10 दिवस	अगले महीने का 10वां दिन
2.	अनुसूची -IV	तिमाही	31 मार्च/	45 दिवस	15 मई /
			30 जून/	15 दिवस	15 जुलाई/
			30 सितंबर/		15 अक्टूबर/
			31 दिसंबर		15 जनवरी
3.	एएलएम -I (एसटीडीएल)	तिमाही	31 मार्च/	10 दिवस	10 अप्रैल/
			30 जून/		10 जुलाई/
			30 सितंबर/		10 अक्टूबर/
			31 दिसंबर		10 जनवरी
4.	20 प्रमुख एक्सपोजर्स	तिमाही	31 मार्च/	10 दिवस	10 अप्रैल/
			30 जून/		10 जुलाई/
			30 सितंबर/		10 अक्टूबर/
			31 दिसंबर		10 जनवरी
5.	एएलएम -II (एसएल एवं आईआरएस))	अर्धवार्षिक	31 मार्च/	20 दिवस	20 अप्रैल/
			30 सितंबर		20 अक्टूबर
6.	अनुसूची -II	अर्धवार्षिक	31 मार्च/	6 सप्ताह	12 मई/
			30 सितंबर/		12 नवंबर
7.	अनुसूची -I	वार्षिक	31 मार्च	30 जून	
8.	सांविधिक लेखापरीक्षक प्रमाणपत्र	वार्षिक	31 मार्च		सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर बैलेंस शीट को अंतिम रूप देने की तारीख से एक महीने के भीतर रिटर्न जमा करने की सलाह दी जाती है।
9.	एफएटीएफ अनुपालन प्रमाणपत्र	वार्षिक	31 मार्च	30 जून	

घ. ₹50/- करोड़ और उससे अधिक लेकिन ₹100/- करोड़ से कम संपत्ति वाले गैर-जमा स्वीकार करने वाले आवास वित्त कंपनियों द्वारा प्रस्तुत जाने वाली विवरणी का विवरण:

क्र.सं.	रिटर्न का नाम	आवधिकता	संदर्भित दिनांक	रिपोर्टिंग का समय	को देय
1.	अनुसूची -V	मासिक	प्रत्येक महीने का अंत	10 दिवस	अगले महीने का 10वां दिन
2.	अनुसूची -IV	तिमाही	31 मार्च/	45 दिवस	15 मई
			30 th जून/ 30 सितंबर/ 31 दिसंबर	15 दिवस	15 जुलाई / 15 अक्टूबर/ 15 जनवरी
3.	20 प्रमुख एक्सपोजर्स	तिमाही	31 मार्च / 30 जून/ 30 सितंबर/ 31 दिसंबर	10 दिवस	10 अप्रैल/ 10 जुलाई / 10 अक्टूबर/ 10 जनवरी
4.	अनुसूची -II	अर्धवार्षिक	31 मार्च / 30 सितंबर/	6 सप्ताह	12 मई / 12 नवंबर
5.	अनुसूची -I	वार्षिक	31 मार्च	30 जून	
6.	सांविधिक लेखापरीक्षक प्रमाणपत्र	वार्षिक	31 मार्च	सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर बैलेंस शीट को अंतिम रूप देने की तारीख से एक महीने के भीतर रिटर्न जमा करने की सलाह दी जाती है।	
7.	एफटीएफ अनुपालन प्रमाणपत्र	वार्षिक	31 मार्च	30 जून	

ङ. जमा न लेने वाली ऐसी आवास वित्त कंपनियां, जिनकी संपत्ति का आकार ₹50/- करोड़ से कम है के द्वारा जमा की जाने वाली विवरणी का विवरण:

क्र.सं.	रिटर्न का नाम	आवधिकता	संदर्भित दिनांक	रिपोर्टिंग का समय	को देय
1.	अनुसूची -V	मासिक	प्रत्येक महीने का अंत	10 दिवस	अगले महीने का 10वां दिन
2.	अनुसूची -IV	तिमाही	31 मार्च/	45 दिवस	15 मई/
			30 जून/ 30 सितंबर/ 31 दिसंबर	15 दिवस	15 जुलाई/ 15 अक्टूबर/ 15 जनवरी

3.	20 प्रमुख एक्सपोजर्स	तिमाही	31 मार्च/ 30 जून/ 30 सितंबर/ 31 दिसंबर	10 दिवस	10 अप्रैल/ 10 जुलाई / 10 अक्टूबर/ 10 जनवरी
4.	अनुसूची -II	अर्धवार्षिक	31 मार्च/ 30 सितंबर/	6 सप्ताह	12 मई / 12 नवंबर
5.	अनुसूची -I	वार्षिक	31 मार्च	30 जून	
6.	सांविधिक लेखापरीक्षक प्रमाणपत्र	वार्षिक	31 मार्च	सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर बैलेंस शीट को अंतिम रूप देने की तारीख से एक महीने के भीतर रिटर्न जमा करने की सलाह दी जाती है।	
7.	एफएटीएफ अनुपालन प्रमाणपत्र	वार्षिक	31 मार्च	30 जून	

च.संबंधित आवास वित्त कंपनियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र/विवरण/रिपोर्ट/विवरण :

क्र.सं.	रिटर्न का नाम	आवधिकता	संदर्भित दिनांक	रिपोर्टिंग का समय	को देय
1.	सरफेसी	तिमाही	31 मार्च/ 30 जून/ 30 सितंबर/ 31 दिसंबर	5 दिवस	5 अप्रैल/ 5 जुलाई / 5 अक्टूबर/ 5 जनवरी
2.	एफडीआई मानदंडों के अनुपालन पर प्रमाण पत्र	अर्धवार्षिक	31 मार्च / 30 सितंबर	एक महीना	30 अप्रैल/ 31 अक्टूबर
3.	विदेशी निवेश रिपोर्ट	तिमाही	31 मार्च/ 30 जून/ 30 सितंबर/ 31 दिसंबर	15 दिवस	15 अप्रैल/ 15 जुलाई / 15 अक्टूबर/ 15 जनवरी/
4.	ब्याज दर वायदा (आईआरएफ) लेनदेन पर वक्तव्य	अर्धवार्षिक	31 मार्च/ 30 सितंबर	एक महीना	30 अप्रैल/ 31 अक्टूबर

अध्याय IV

व्याख्या

परिपत्र के प्रावधानों को प्रभावी करने के उद्देश्य से, यदि बैंक आवश्यक समझता है तो इसमें शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और बैंक द्वारा दिए गए परिपत्र के किसी भी प्रावधान की व्याख्या अंतिम होगी और सभी संबंधित पक्षों पर बाध्यकारी होगी। इसके अतिरिक्त, ये प्रावधान फिलहाल लागू किसी भी अन्य कानून, नियम, विनियम या निर्देशों के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके निरादर में।

अध्याय V

छूट

बैंक, यदि किसी कठिनाई से बचने के लिए या किसी अन्य उचित और पर्याप्त कारण से इसे आवश्यक समझता है, तो किसी भी आवास वित्त कंपनी के अनुपालन या छूट के लिए, अध्याय-II की धारा-II के तहत उल्लिखित को छोड़कर, समय का विस्तार दे सकता है। आवास वित्त कंपनियों की श्रेणी, परिपत्र के सभी या किसी भी प्रावधान से या तो आम तौर पर या किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए ऐसी शर्तों के अधीन होती है जो बैंक लगा सकता है।

रिटर्न के लिए संलग्नक

क्र.सं.	रिटर्न	रिटर्न के लिए संलग्नक
1.	अनुसूची -I	<p>(i) मास्टर निदेश- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2021 के पैराग्राफ 116 में आवश्यक ऑडिटर का प्रमाणपत्र।</p> <p>(ii) इस विवरण की तारीख के निकटतम अंकेक्षित बैलेंस शीट और लाभ और हानि खाते की एक प्रति।</p> <p>(iii) मास्टर निदेश- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – आवास वित्त कंपनी (रिज़र्व बैंक) निर्देश, 2021 के पैराग्राफ 34 में संदर्भित आवेदन पत्र की एक प्रति।</p> <p>(iv) प्रमुख अधिकारियों की सूची।</p> <p>(v) वर्तमान निदेशकों के नाम और पते।</p> <p>(vi) कंपनी के प्रवर्तक/प्रवर्तक संस्थानों के नाम और पते और शेयरधारिता पैटर्न।</p> <p>(vii) कंपनी के बैंकरो के नाम और पते।</p>
